पत्रावली संख्या **बी0पी0-IV-1296**

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(भवन प्रकोष्ठ)

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ 0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/बी0पी0-IV-1296 /825

दिनांकः 16/9/15

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश

सेवा में

M/s Logix Buildtech Pvt. Ltd.
बी0डब्ल्यू0-58, सेक्टर-32
नोएडा

प्रिय महोदय,

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद **श्री राजीव गोयल** काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर पंजीकरण संख्या **सी0ए0/76/2361** समूह/फर्म के पर्यवेक्षण में भूखण्ड **संख्या-बी0डब्ल्यू0-58, सेक्टर-32, नोएडा** पर पूरे किये गये भवन का निर्माण /पुनर्निर्माण /परिवर्तन/ गिराये जाने के काम का संलग्न मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुविद के समूह/फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाण पत्र तथा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मजबूती, अग्निसुरक्षा, अन्दर तथा आस पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिभोग के योग्य है ।

यह आंशिक अधिभोग पत्र **दिनांक 30.06.15** को प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है । यदि आवंटी द्वारा भूखण्ड/ भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं *अथवा नोएडा बिल्डिग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन / भवन नियमावली के विरूद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण* के विरूद्ध उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत *हटाने की* कार्यवाही आपेक्षित होगी । *भविष्य में भूखण्ड/ भवन में नोएडा बिल्डिग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन/ भवन नियमावली के अनुसार विस्तार का अलग से मानचित्र स्वीकृत कराने तथा उस भाग का आधिभोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आवंटी/भू-स्वामी का होगा ।*

संलग्नः भवन का कम्पलीशन प्लान ।

• भूखण्ड का क्षेत्रफल	= 25000.00 वर्ग मी0
• अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 50%	= 125000.00 वर्ग मी0
• अनुमन्य एफ0ए0आर0 @ 4.0	= 1,00,000.00 वर्ग मी0
• निर्मित एफ0ए0आर0	= 43794.595 वर्ग मी0
• निर्मित नॉन एफ0ए0आर0(तहखाना+ सेवा क्षेत्र)	= 28823.244+7633.233
• कुल निर्मित क्षेत्रफल (एफ0ए0आर0+नॉन एफ0ए0आर)	= 80251.072 वर्ग मी0

प्रतिबन्ध-

1. यह जारी किये जाने वाला अधिभोग प्रमाण पत्र ओखला पक्षी विहार के ईको सेन्सेटिव जोन निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र सं0-375 वर्ष 2015, परमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अनुपालन हेतु पट्टाधारक/उप पट्टाधारक बाध्य होगें ।

2. नौएडा भवन विनियमावली-2010, उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010, पर्यावरण विभाग/माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आबंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा ।

3. अधिभोग प्रमाण पत्र एवं मानचित्रों में दर्शायी गयी स्वीकृति के सापेक्ष प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको ध्वस्त कर/हटाये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

4. अग्निशमन, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संरक्षण व रिसाइकिलिंग, लैण्डस्केप/हरित क्षेत्र/खुला क्षेत्र/वृक्षारोपण, सीवेज सिस्टम, कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमेशा कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा चन्यथा समापन मानचित्र निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

5. भवन में प्रस्तावित मल्टीपलेक्स/सिनेमा के संचालन से पूर्व उत्तर प्रदेश सिनेमेटोग्राफिक एक्ट एवं अन्य लागू अधिनियम के अध्यावधिक सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सक्षम स्तर से पूर्व अनुमति व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

6. आंवटी संस्था द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र/समयवृद्धि हेतु अनुरोध का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 14.09.2015 को प्रदान किया गया है । जिसमें दिनांक 30.09.2015 तक जमा कराया जाना सुनिश्चित किया गया । अदेयता प्रमाण पत्र/समयवृद्धि जमा न करने की दशा में यह अधिभोग प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

संलग्नक - भवन के समापन मानचित्र ।

Completion drawing is as per five
Laws submitted for approval Please.

Asst. Arch. Asst. Arch. Architect

भवदीय 14/9/15
नाम .... डी० के० सक्सेना
पद .... नियोजक
नोएडा

प्रतिलिपिः महा प्रबन्धक(वाणिज्यिक) को सूचनार्थ ।